मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता

राजस्व वाद संख्या :–266 / 2024

1. भाग्यकर्णन सिंह पुत्र मदनसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन कंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मदनसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

1. दलीपसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासीयान पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बाबूसिंह उर्फ बरमसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत निवासीयान पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (मृतक)

   2/1. दीपकंवर पत्नी बाबूसिंह उर्फ बरमसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

   2/2. रविन्द्रसिंह पुत्र बाबूसिंह उर्फ बरमसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. भंवर खुशबू पुत्री बाबूसिंह पत्नी अरविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
4. ज्योत्सना राठौड़ पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. विनीता राठौड़ पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. शैलजा राठौड़ पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 06.09.2024

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.09.2024 को स्वाति

Scanned with CamScanner

गुप्ताआरएएस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क).वादी संख्या 1 भाग्यावर्धन सिंह को प्राप्त आराजी– चक नम्बर 30 एन.जी.सी. के खाता संख्या 43/40 में अंकित 1.012 हैक्टर व चक नम्बर 1 एच.एम.एच. के खाता संख्या 38/38 में अंकित 0.253 हैक्टर, चक नम्बर 29 एन.जी.सी. के खाता संख्या 37/37 में अंकित 2.277 हैक्टर में से पत्थर नम्बर 175/262(23) किला नम्बर 4

(ख).वादी संख्या 2 मदनसिंह को प्राप्त आराजी– चक नम्बर 14 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 83/75 में अंकित 1.012 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 30 एन.जी.सी. के खाता संख्या 43/40 व चक नम्बर 1 एच.एम.एच. के खाता संख्या 38/38 में से प्रतिवादी संख्या 1 दलीपसिंह का नाम कलमजन, चक नम्बर 14 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 83/75 में से बाबूसिंह उर्फ बरमसिंह का नाम कलमजन, चक नम्बर 29 एन.जी.सी. के खाता संख्या 37/37 में से प्रतिवादीया संख्या 3 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
...द पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
...क्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
...र्जी के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
...ाम पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—
...ाक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
...मिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
...देशिका की तामिल	—		—
...ग	—	योग	—